आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **नि.दी.प्र.सं. 61/2023 मैं प्रवीण कुमार विरूद्ध हनुमान गोयल आदि** **(CIS No. 70/2023)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हु
06.01.2026	अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा प्रतिवादी सं. 2 सुभाष गोयल की ओर से दिनांक 20.12.25 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सि.प्र.सं. व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं.2 सुभाष गोयल की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत **आदेश 8 नियम 1(3) सि.प्र.सं.** पेश कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त दुकान नंबर 47 नई धानमंडी, श्रीगंगानगर में यह बालाजी जूट उद्योग के नाम से जूट के बारदाना का कारोबार करता चला आ रहा है और इसने इस हेतु जूट की बोरियां वगैरह वादग्रस्त परिसर में गोदाम में एकत्र कर रखी थी और इस जूट उद्योग पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से लिमिट बना रखी थी, दुकान में एकत्रित जूट के बारदाना का बैंक ने बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से करवा रखा था, बीमा खर्चा की राशि इसके नाम से बैंक द्वारा डाली जाती थी। दिनांक 06.06.15 को वादग्रस्त दुकान में स्थित जूट उद्योग में आग लग गई थी इस पर इसने दमकल विभाग व बैंक को आग लगने की सूचना दी थी और इस पर दमकल विभाग की पांच गाड़ियों व स्टाफ ने आकर आग पर काबू पाया था और इसकी रसीद, प्रमाण पत्र दिनांक 09.06.15 को दमकल विभाग द्वारा इसे जारी किया गया था। इसके जूट के बारदाना की बीमा राशि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा देने से इंकार करने पर इसके व एसबी जनरल इंश्योरेंस व बैंक के मध्य पत्राचार हुआ और बाद जांच बीमा राशि इसके बैंक खाता में जमा हो गई थी। प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत करते समय यह इस आगजनी की घटना की जानकारी अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाया था इस वजह से उक्त दस्तावेज प्रतिवादी पत्र प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत नहीं हो सके। दमकल विभाग श्रीगंगानगर का प्रमाण पत्र व नगर परिषद की रसीद, बालाजी जूट उद्योग का बैंक को लिखा पत्र व एस्टीमेट मय अनुमानित नुकसान सूची व एसबीआई जनरल इंश्योरेंस द्वारा प्रतिवादी को लिखा पत्र व बालाजी जूट उद्योग द्वारा बैंक को लिखा पत्र वाद के निर्णय व सहायक व महत्वपूर्ण प्रलेख हैं। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने से वादी को कोई क्षति नहीं है। अंत में आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेज को सबूत प्रतिवादी में प्रस्तुत करने को निवेदन किया। प्रतिवादी सं.2 की ओर से उक्त तथ्यों के संदर्भ में ही अपने वादोत्तर में संशोधन अनुज्ञात किए जाने की ईप्सा करते हुए **आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं.** के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तावित पैरा सं.16 संयोजित किए जाने का निवेदन किया है। वादी पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थना पत्रों का कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं कर मौखिक विरोध किया गया। पक्षकथनों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से दुकान सं.47, नई धानमंडी, श्रीगंगानगर का स्वयं को	

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर न्यायाधीश **नि.दी.प्र.सं. 61/2023 मैं प्रवीण कुमार विरूद्ध हनुमान गोयल आदि** **(CIS No. 70/2023)**	संख्याक व दिनांक पत्र जो इस आदेश की पालना में निर्गमित हु

विधिक व वास्तविक स्वामी होना दर्शाकर उसका रिक्त कब्जा दिलाए जाने का अनुतोष याचित करते हुए मूल वाद प्रस्तुत किया गया है और प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त परिसर मौखिक करार दिनांकित 31.3.1988 के अंतर्गत क्रय किया जाना अभिव्यक्त किया है। उक्त परिसर में जूट के बारदाना का व्यवसाय होना निर्विवादित है और उक्त परिसर दुकान में आग लगने व उस संबंध में दमकल विभाग व बैंक को दी गई सूचना एवं दमकल विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, रसीद एवं बारदाना के नुकसानी बाबत बीमा कंपनी से हुए पत्राचार संबंधी प्रलेख, अभिलेख पर लिए जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त प्रलेख वाद की विषय वस्तु से संबंधित होकर सुसंगत है। प्रकरण साक्ष्य के प्रक्रम पर है और उक्त प्रलेख अभिलेख पर लिए जाने से वादी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र में अंकित प्रलेख साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने हेतु अनुज्ञात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रतिवादी की ओर से उक्त प्रलेखों के संदर्भ में ही अभिकथनों में वॉछित संशोधन भी आदेश 6 नियम 17 सि.प्र.सं. के अंतर्गत अनुज्ञात किए जाने योग्य है, क्योंकि पक्षकार को अपने अभिवचन को साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है और इसलिए उक्त तथ्यों के संदर्भ में वादोत्तर में प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार अतिरिक्त कथन पैरा सं.15 के बाद पैरा सं.16 प्रस्तावित अनुसार संयोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदानुसार उक्त दोनों प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किए जाते हैं।

प्रतिवादी सं.2 आगामी सुनवाई तिथि से पूर्व अपने वादोत्तर में उक्तानुसार पैरा सं.16 संयोजित करते हुए संशोधित वादोत्तर पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली पेश होने संशोधित वादोत्तर एवं साक्ष्य वादी पक्ष हेतु दिनांक को पेश हो।

(रविन्द्र कुमार)